रमेश कुमार सुथार बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी(अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर)प्रकरण अपील संख्या 30/2018

19.12.2018

अपीलांट अनुपस्थित।रेस्पोडेन्ट उपस्थित।प्रकरण में रेस्पोडेन्ट को सुना गया।

रेस्पोडेन्ट (अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर) ने व्यक्त किया। अपीलांट का सूचना के अधिकार अधिनियम का आवेदन पत्र 12.11.2018 को प्राप्त होने पर आवेदित सूचना उपलब्ध नहीं होने के कारण संबधित सूचना नगर पालिका में संधारित होने के कारण अपीलांट का आवेदन पत्र जरिए पत्रांक 864 दिनांक 13.11.2018 को अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका भीनमाल को अंतरित किया गया। जिसकी सूचना अपीलांट को दी गई तत्पश्चात इस संबंध में अपीलांट को जरिए पत्रांक 916 दिनांक 30.11.2018 से पुनः सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

राज्य लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर) के द्वारा प्रस्तुत जवाब व कथन पर मनन किया तथा अपीलांट के अभिकथन 03.12.2018 व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा पोस्टल आर्डर संख्या 35 एफ 869478 के संलग्न आवेदन पत्र दिनांक 05.11.2018 के द्वारा चाही सूचना कार्यालय में उपलब्ध न होने के कारण नगर पालिका भीनमाल में संधारित होने के कारण नगर पालिका भीनमाल को अंतरित किया गया है। हम लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलांट का सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) का आवेदन पत्र नगर पालिका भीनमाल को किये गये उक्त अंतरण से सहमत है।

सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुसार लोक सूचना अधिकारी केवल वही सूचना उपलब्ध कराने के लिये बाध्य है जो उसके कार्यालय में उपलब्ध है। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट की अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है।

(बी.एल.कोठारी)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर)
जालोर